

४१

राजनीमो :- R - ३२०५ - ५१५

### नेबिल सिमन्स

आत्मज श्री एफ०ए० सिमन्स

आयु लगभग ७२ वर्ष, निवासी— वृदावन कालोनी झिंझरी  
तहसील मुडवारा जिला— कटनी (मप्र)

.....पुनरीक्षणकर्ता

विलोक्य

१ श्रीमती ई०ए० किस्चन पत्नी एडविन ए० किस्चन

निवासी— ५ डा. सुन्दारी मोहन

700014 बेस्ट बंगाल

२ श्रीमती गायत्री देवी चौपड़ा धर्मपत्नी बलवीर चौपड़ा

निवासनी २१७ सरक्लुर रोड कोलकत्ता — ७०००१७

बेस्ट बंगाल

.....प्रत्यर्थी गण



- |                |              |                   |                |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| (a) iz/kkuea=h | (b) jk'V~ifr | (c) i;kZoj.k ea=h | (d) fdlku ea=h |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|
29. lafo/kku lalks/ku dh izfdz;k vkjaHk gks ldrh gS \
- |                   |                  |                      |                       |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| (a) yksd lHkk esa | (b) jkT;lHkk esa | (c) jkT; fo/kku e.My | (d) a o. b<br>nksuksa |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
30. fuEufyff[kr esa ls fdl la?k "kkflr izns" k ds iz"kkld dks \*iz"kkld\* dgrs gSa \
- |            |             |              |           |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| (a) y{k}hi | (b) p.Mhx<+ | (c) iqnpqsjh | (d) fnYyh |
|------------|-------------|--------------|-----------|

EXAMINER'S STAMP

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

(W3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3204-II / 2014. जिला ..... करनी .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-14 बबलपुर कर्मा	<p>आवेदक अधिवक्ता सूचना उपर्यंत अनुपस्थित (प्रकरण) का अवलोकन किया गया। यह छठरण अपर आपुम्त के छठरण क्रमांक 593/अ-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 4-6-14 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा प्रतुत किया गया है, इसकी सत्यापितालीषि का अवलोकन किया गया।</p> <p>2- अपर आपुकर्ता बबलपुर संभाग बबलपुर द्वारा पारित आवेदक के अवलोकन के परिणाम में अंक 3-हाल आवेदक का श्री. पी. सी. के अंतर्गत धारा 15। का आवेदन विधिवत् एवं विस्तृत केवलन कर अमान्य किया गया है जो उन्नित है। अतः उधम दृष्ट्या निगरानी में दस्तकाप किये जाते हो कोई पर्याप्त आधार नहीं होने से इसी घट पर अनुदाय की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(अस्त्रेन) प्रशासकाधीक्ष सदृश्य</p>	